प्रकरण संख्या 53/2019 नाहरसिंह व अन्य बनाम सरकार व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.01.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मादडी आसोलियान, तहसील मावली में आराजी नंबर 403 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 445 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा थे, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादीगण के नाम हिस्सा बराबर अनुसार अंकित है। उक्त ग्राम का सेटलमेन्ट संवत् 2023 में हुआ, जिसमें उक्त आराजी नंबर 445 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा के हाल आराजी नंबर 403 बनकर रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा बनाया गया, जबकि वर्तमान सेटलमेन्ट अनुसार जरीब 132 फिट की होने से रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा होना चाहिए था, क्योंकि पूर्व में जरीब 152½ फिट की थी। इस प्रकार वादीगण के खाते में 2 बीघा भूमि कम अंकित हुई है जो बिलानाम अंकित कर दी गयी है। उक्त 2 बीघा भूमि हेतु वादीगण द्वारा उप जिला कलक्टर वल्लभनगर के यहां इन्द्राज दुरस्ती का वाद प्रस्तुत किया गया, जिसके मुकदमा नंबर 284/74 होकर उक्त वादी में दिनांक 25.11.1976 को हाल आराजी नंबर 404 व 408 में से 2 बीघा भूमि वादीगण के नाम अंकित किये जाने का आदेश दिया, फिर भी उक्त 2 बीघा भूमि वादीगण के नाम अंकित नहीं की गयी। वादीगण के उक्त खातेदारी आधिपत्य की शेष 2 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 12.03.1992 को आराजी नंबर 404 मीन रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा एवं आराजी नंबर 808 मीन रकबा 10 बीघा किता 2 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा भूमि आवंटित कर दी, किन्तु उक्त आदेश की पालना में आराजी नंबर 808 मीन के बजाय आराजी नंबर 868 प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में अंकित कर दी गयी, जो बिना किसी आदेश के अंकित की गयी है। वादीगण का आधिपत्य वर्तमान नाप अनुसार आराजी नंबर 403, 404 मीन एवं 868 के 7 बीघा 15 बिस्वा पर चला आ रहा है, किन्तु आराजी नंबर 404 व 868 प्रतिवादी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:10 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 2 के नाम अंकित हो जाने से वादीगण को जबरन बेदखल करने की धमकी देते हैं। अतः आराजी नंबर 404 व 868 में से 2 बीघा भूमि कर की जाकर इसी आराजी नंबर 403 में मिलाते हुए आराजी नंबर 403 का रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण ने खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा विशेष कथन में अंकित किया कि वादीगण द्वारा दिनांक 25.11.1976 में हुए निर्णय की पालना आज दिनांक तक नहीं करवायी गयी है इसलिए अब उक्त निर्णय की कोई मान्यता नहीं रह जाती है। वादीगण का वाद मियाद बाहर है। वादीगण प्रतिवादीगण के कब्जे वाली भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए उन्हें जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे तथा वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में 8 तनकियां कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 16.09.2019 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 13.11.2019 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल त्रिपाठी उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुखदेव बारबर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 2 व 4 आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में तथा तनकी नंबर 6 व 8 पूर्ण रूप से वादीगण के विरूद्ध निर्णित करने में गम्भीर विधिक भूल

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:10 IST
Reason: SelfAttested

की है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों की अनदेखी करते हुए दिनांक 25.11.1976 के निर्णय को प्रारम्भ से शून्य माना है, जो त्रुटि पूर्ण है। वादीगण के पक्ष में दिनांक 25.11.1976 को जो निर्णय पारित किया गया था वह इन्द्राज दुरस्ती के प्रार्थना पत्र में पारित किया गया था, उसमें राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत खातेदारी अधिकारों की घोषणा का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं था। उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के निर्णय दिनांक 21.03.2002 द्वारा उसे निरस्त कर दिये जाने के आधार पर घोषणा एवं निषेधाज्ञा का पश्चातवर्ती वाद निरस्त नहीं हो सकता है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलान्ट/वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। भू–प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी संवत् 2023 में विवादित साबिक आराजी नंबर 403 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, जिसके साबिक आराजी नंबर 445 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा थे, अपीलान्ट/वादीगण के खातेदारी में दर्ज है तथा संवत् 2055 से 2058 में भी उक्त आराजी नंबर 403 रकबा 5 बीघा 15 अपीलान्ट/वादीगण के खातेदारी में दर्ज है, जबकि आराजी नंबर 404 मीन रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा एवं आराजी नंबर 868 मीन रकबा 10 बीघा किता 2 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के खातेदारी में दर्ज है। हालांकि जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में जो आदेश दिनांक 12.03.1992 को पारित किया गया है, उसमें आराजी नंबर 868 के स्थान पर 808 मीन अंकित है, जो प्रदर्श 8 के अवलोकन से स्पष्ट है। अपीलान्ट/वादीगण का कथन है कि साबिक आराजी नंबर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:10 IST
Reason: SelfAttested

445 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा का नई जरीब 132 फिट के अनुसार रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा बनाना चाहिए था, जबकि हाल आराजी नंबर 403 में रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा ही अंकित किया गया है, 2 बीघा भूमि कम अंकित की गयी है एवं उक्त 2 बिस्वा भूमि का आवंटन प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के पक्ष में कर दिया गया है, जिसकी इन्द्राज दुरस्ती हेतु अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा निर्णय दिनांक 25.11.1976 से आराजी नंबर 404 व 868 में से 2 बीघा भूमि बिलानाम से कम कर अपीलान्टगण के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है। हालांकि उक्त निर्णय को न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 21.03.2002 को निरस्त कर दिया गया है, लेकिन प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट/वादीगण के खाते में साबिक के मुकाबले हाल में 2 बीघा भूमि कम दर्ज हुई है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने विवेचन में माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में हालांकि तनकीवार विवेचन किया है, किन्तु तनकियों का साक्ष्यों अनुसार विवेचन किया जाना प्रकट नहीं होता है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 90/2002 निर्णय दिनांक 16.09.2019 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/वादीगण के 2 बीघा कमी रकबे बाबत् प्रकरण में पक्षकारान की पुनः साक्ष्य लेकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.03.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:10 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:10 IST
Reason: SelfAttested